



(१२३)

व्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

निः - ३६०३ - PBR-१६

प्रकरण क्रमांक

-दो/2016 निगरानी

संख. पुनर्विलोकन ४४०/PBR/१७

राजेश सिंह पुत्र स्व० सोवरन सिंह

५/२

जाति किरार निवासी ग्राम रमौआ

निः - ३६०३ - PBR-१६

तहसील ग्वालियर जिला ग्वालियर

—आवेदक

श्री मेरी चापक
कामगार छात्र छात्र/

विरुद्ध

१४-१०-१६

१- मोप्रशासन द्वारा

२७६
१४-१०-१६
G.P. Nayak
Adv.

कलेक्टर जिला ग्वालियर

२- तहसीलदार, तहसील ग्वालियर

जिला ग्वालियर मध्य प्रदेश

—अनावेदकगण

(निगरानी अंतर्गत धारा ५०, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता,

१९५९ - श्रीमान अबुविभागीय अधिकारी ग्वालियर, जिला

ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक १६/२०१५-१६ अप्रैल में

पारित आदेश दिनांक १६-८-२०१६ के विरुद्ध)

[Signature]

कृ०प०३०--२

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक स्वमेव पुनर्विलोकन 840-पीबीआर/2017
स्थान तथा दिनांक कार्यवाही तथा आदेश

जिला ग्वालियर

फलकार्ता एवं अभिभाषकों
आदि के हस्ताक्षर

स्थान तथा दिनांक	प्रकरण क्रमांक स्वमेव पुनर्विलोकन 840-पीबीआर/2017 कार्यवाही तथा आदेश	जिला ग्वालियर	फलकार्ता एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26-7-2017	<p>प्रकरण में अनावेदक के अभिभाषक की ओर से इस प्रकरण के स्वमेव पुनर्विलोकन तौर पर प्रचलनशीलता पर आपत्ति ली गई है। उनके द्वारा तर्क दिया गया कि प्रकरण में अभिलेख पर ऐसे कोई आधार उपलब्ध नहीं है जो कि प्रकरण को पुनर्विलोकन में लेने के लिये आवश्यक होते हैं। सदस्य के द्वारा प्रारंभिक सुनवाई के दौरान अंतिम आदेश पारित किया गया है जो कि उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। उक्त आदेश को किसी पक्ष के द्वारा मण्डल के समक्ष चुनौती नहीं दी गई है, अतः यह स्वमेव पुनर्विलोकन प्रचलन योग्य नहीं है। शासकीय अभिभाषक द्वारा तर्क में कोई नया बिन्दु प्रस्तुत नहीं किया गया है।</p> <p>2/ प्रकरण में उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया तथा अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया। अनावेदक के अभिभाषक के इस तर्क में बल है कि मण्डल के समक्ष किसी भी पक्ष के द्वारा मण्डल के आदेश दिनांक 9-2-2017 को चुनौती नहीं दी गई है। ऐसी स्थिति में गुणदोषों पर मण्डल के समक्ष संहिता की धारा 51 में प्रकरण में स्वमेव पुनर्विलोकन में लेने के लिये व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 47 नियम 1 में बताये गये आधार उपलब्ध होने की जो शर्त रखी गई है वह इस प्रकरण में पूरी नहीं होती है। ऐसी स्थिति में यह स्वमेव पुनर्विलोकन प्रचलनशील नहीं होने से समाप्त किया जाता है।</p>		

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष